

य उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

हरबाडी बनाम सरकार

मु. सं. 121/21 (डावा)

चाहती है। अतः वाद वाडिया व
उसके अभिभाषक से कोशे उपस्थित
नहीं होने के कारण अहम - हाजरी व
अहम - परी में रवारिज किया जाता है।
पत्रावली फेल्ल शुगर व नम्बर से कर
की जाकर बाद तकनीक टाटिल्ल
दफतर है।

उपखण्ड अधिकारी
कचनर (पीसा)